

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ-5/अभि/सीटीएडी/मत्री अनुशषा/19-20/ 39450-62

दिनांक : 21/10/19

राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद  
डॉ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,  
ओटीएस पुलिया के सामने राजस्थान जयपुर।

विषय : राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेवर एवं कागा खादर पं.स. सायरा मे 2 अतिरिक्त  
कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 28945-54 दिनांक 23.07.2019 के क्रम मे कार्यकारी एजेन्सी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान उदयपुर (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद) से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या -7 में अंकित राशि अनुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

## जिला-उदयपुर

(राशि लाख रु. में)

क्र. स.	कार्य का नाम व स्थान	ग्रा.प.	पं.स.	प्रशा. स्वीकृति अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति	राशि
					क्र/दि.	
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मेवर में 2 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	बोखाडा	सायरा	10.00	AEN/SMSA/ UDR/836/ 23.07.19	16.00
2	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कागा खादर में 2 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य	बोखाडा	सायरा	10.00	AEN/SMSA/ UDR/835/ 23.07.19	16.00
			योग	20.00		32.00

उपरोक्त कार्य पर स्वीकृत राशि रु. 32.00 लाख का व्यय इस विभाग द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को पूर्व मे अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराई गई राशि मे से होगा।

शर्त-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें।
2. स्वीकृत कार्यो पर तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
5. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने मे कार्य स्थल का longitude & latitude अंकित की जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्णता के पश्चात् फोटोग्राफ प्रेषित किये जावे।
7. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

भवदीय


(शिवांगी स्वर्णकार) I.A.S

आयुक्त

कृ.पू.उ

एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/19-20/39450-62 दिनांक : 21/10/19  
प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर।
5. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान उदयपुर उदयपुर।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि. मेवर/कागा खादर पं.स. सायरा जिला उदयपुर।
11. गार्ड पत्रावली।

  
 अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)  
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
 उदयपुर (राज.)